भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3420
दिनांक 08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कर्नाटक में थैलेसीमिया की व्याप्ति

†3420. श्री श्रेयस एम. पटेलः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कर्नाटक में, विशेष रूप से हासन जैसे जिलों में, थैलेसीमिया की व्याप्ति बहुत अधिक है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके आंकड़े और कारण क्या हैं;
(ख) क्या देश में थैलेसीमिया के संबंध में व्यवस्थित जाँच और जागरूकता का अभाव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इसे दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए/प्रस्तावित हैं;
(ग) कर्नाटक राज्य में थैलेसीमिया की मानकीकृत दवाओं की कमी और सीमित पहुँच की समस्या के समाधान के लिए क्या उपाय किए गए/कार्यान्वित किए गए;
(घ) सरकारी केंद्रों पर उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क आयरन की कमी दूर करने वाली दवाओं के अप्रभावी होने के क्या कारण हैं और ये दवाएं आयरन की अधिकता को कम करने के बजाए दुष्प्रभाव क्यों पैदा करती हैं; और
(ङ) कर्नाटक में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए स्थायी उपचार के रूप में अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण की सुविधा प्रदान करने वाले केंद्रों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ) : कर्नाटक सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कर्नाटक में 2288 थैलेसीमिया रोगी हैं, जिनमें से 70 रोगी हासन जिले में हैं।

थैलेसीमिया के प्रबंधन और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने की प्राथमिक ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। तथापि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत अपनी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में प्रस्तावों के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में थैलेसीमिया की रोकथाम और प्रबंधन, ब्लड बैंक सुविधा केंद्रो, डे केयर सेंटर, दवाओं, प्रयोगशाला सेवाओं, आईईसी कार्यकलाप और मानव संसाधन प्रशिक्षण आदि का प्रावधान शामिल है।

भारत में थैलेसीमिया सहित हीमोग्लोबिनोपैथी के प्रबंधन में सहायता के लिए हीमोग्लोबिनोपैथी - थैलेसीमिया एवं सिकल सेल रोग तथा अन्य प्रकार के हीमोग्लोबिन की रोकथाम एवं नियंत्रण पर व्यापक दिशानिर्देश (2016), राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को साझा किए गए थे। इन दिशानिर्देशों में थैलेसीमिया मेजर (पैक्ड लाल रक्त कोशिका के साथ रक्त आधान चिकित्सा, आयरन की अधिकता के लिए आयरन चिलेशन, जटिलताओं की निगरानी एवं प्रबंधन तथा मनोवैज्ञानिक सहायता आदि) और नॉन-ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया (एनटीडीटी) आदि सहित थैलेसीमिया रोग के प्रबंधन की कार्यनीतियों का विवरण दिया गया है।

इसके अलावा, एन. एच. एम. के तहत, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को थैलेसीमिया के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में तीन आयरन-चिलेशन दवाओं अर्थात् डेस्फेरियोक्सामाइन, डिफेरीप्रोन और डिफेरासिरोक्स के प्रावधान के लिए सहायता प्रदान की जाती है। भारत सरकार, निःशुल्क औषधि सेवा पहल (एफडीएसआई) के तहत, दवाओं की खरीद और खरीद और गुणवत्ता आश्वासन की ठोस प्रणालियों को मजबूत करने में सहायता देती है।

एफ. डी. एस. आई. के तहत खरीदी गई दवाओं की गुणवत्ता इस पहल के संचालन दिशानिर्देशों के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है कि

1. सभी दवाओं को सुदृढ़ खरीद तंत्र के माध्यम से साथ विनिर्माण प्रक्रियाओं (जी. एम. पी.) के अनुरूप निर्माताओं से प्राप्त किया जाना चाहिए।
2. स्वास्थ्य केंद्रों में वितरित करने से पहले आपूर्ति के बाद प्रत्येक बैच का परीक्षण ।

यह मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड (सी. आई. एल.) के सहयोग से थैलेसीमिया बाल सेवा योजना (टी. बी. एस. वाई.) नामक एक योजना लागू कर रहा है जिसमें पात्र रोगियों को सी. आई. एल. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी. एस. आर.) निधि से अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण (बी. एम. टी.) के लिए 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत कर्नाटक के चार अस्पतालों सहित देश भर में फैले सत्रह पैनल अस्पतालों में बीएमटी की सुविधा प्रदान की जाती है।

जैसा कि कर्नाटक सरकार द्वारा सूचित किया गया है, राज्य के सभी गरीबों/बी. पी. एल. लाभार्थियों के लिए सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट के तहत पैनल अस्पतालों में मुफ्त बी. एम. टी. प्रदान किया जाता है।

*****